संं0–5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)–

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

3078
20.12.17

संकल्प

20 दिसम्बर 2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति।

वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जाता है, जो निम्नवत् है:–

(क) विद्यालय छात्रवृत्ति:–

राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यालय छात्रवृत्ति से संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर की प्रति परिशिष्ट 1 एवं 2 के रूप संलग्न है।

वर्तमान में विद्यालय छात्रवृत्ति का वितरण छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो तो निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में अंतरण की जाती है। तत्पश्चात् विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालयं छात्रवृत्ति की संबंधित छात्रों/छात्राओं के खाता में अंतरित की जाती है।

(ख) मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना:–

यह योजना वर्ष–2008–09 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 10वीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ₹8000/– की दर से एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ₹10000/– की दर से प्रदान की जाती है। इसी प्रकार वर्ष–2016–17 से 12वीं की कक्षा में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/– एवं ₹10000/– प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उक्त राशि बिहार के स्थायी निवासी छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित की जाती है। वित्तीय वर्ष–2016–17 में निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है।

(परिशिष्ट–3)

(ग) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:–

(a) राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(b) संकल्प संख्या–798 दिनांक–25.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष–2016–17 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 11वीं एवं 12वीं वर्ग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

(c) विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा।

(d) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की प्रति परिशिष्ट–4(क) एवं 4(ख) के रूप में संलग्न है।

(परिशिष्ट–4)

अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का लाभ ससमय पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/अनुदेश/मापदण्डों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की जाएगी।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से किया जाएगा।

(iii) उल्लेखित छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजना के लिए बजट उपबंध एवं उद्व्यय प्राप्त करने तथा प्रावधानित राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा की जाएगी।

(iv) विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

2. <u>योजना के लिए आवश्यक निधि का श्रोत :–</u>
<u>बजट–शीर्ष</u>

स्थापना एवं प्रतिव्यय, राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत माँग संख्या–44 में अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत छात्रवृति की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.12.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित ।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली /सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016(खण्ड)- 3098 पटना, दिनांक-20.12.2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।